न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 08/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मनीष बारोट पुत्र स्व0 मोतीलाल जाति बारोट निवासी सांतपुर, आबुरोड़ जिला सिरोही		1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार आबुरोड़
2. शिरिष अग्रवाल पुत्र स्व0 ताराचंद जाति अग्रवाल निवासी सांतपुर, आबुरोड़ जिला सिरोही		2. सरपंच ग्राम पंचायत, सांतपुर तहसील आबुरोड़
		3. भूमि नगर सुधार न्यास

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :
श्री नगेन्द्र कुमार मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 5.11.2018

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक प. 12(3)(34)राज/06/2264–2267 दिनांक 31.08.2006 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये ग्राम सांतपुर तहसील आबुरोड़ के खसरा नम्बर 911 रकबा 1.09 बीघा भूमि में से 0.09 बीघा भूमि श्मशान हेतु पक्का निर्माण नहीं करने की शर्त पर सुरक्षित घोषित की है, जो विधि विरूद्ध है। सांतपुर में पूर्व से ही दो श्मशान मौजूद है, जो काफी बड़ी है तथा पुराने समय से है। ग्राम पंचायत सांतपुर को श्मशान हेतु भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि आबादी से लगती हुई है तथा पास में ही 200 मकानों की बस्ती है। उक्त भूमि आबादी भूमि में स्थित होने से श्मशान हेतु उचित भी नहीं है। आबादी के मध्य श्मशान की भूमि का सुरक्षित घोषित किए जाने से आमजन की भावनाओं को ठेस पहुँची है। उक्त भूमि के पास ही सिंचाई का बांध भी है एवं उक्त भूमि में से भारतीय तेल निगम की तेल पाईप लाईन भी गुजर रही है तथा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि का परिपत्र अनुसार श्मशान की भूमि हेतु उपयोग नहीं हो सकता है। मौके पर श्मशान होने से तेल पाईप लाईन को नुकशान हो सकता है तथा बड़ी जन धन की हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने के कारण भी आवंटन योग्य नहीं थी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये उक्त भूमि को श्मशान हेतु आरक्षित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था, इस कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। व्यापक जनहित को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण एवं समुचित जांच करवाए जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी में तेल पाईप लाईन होना जाहिर किया है, जबकि मौके पर इस भूमि में से कोई पाईप लाईन नहीं गुजर रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा ग्राम सांतपुर के खसरा नम्बर 910, 911, 912, 913 व 914 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 5 बीघा चरागाह की भूमि को मुक्तिधाम हेतु ग्राम पंचायत को आवंटन कराने का निवेदन किया। इस पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत एवं तहसीलदार आबुरोड़ से जांच रिपोर्ट तलब की, जिस पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 911 रकबा 1.09 बीघा किस्म गै0मु0 कातरा में से 0.09 बीघा भूमि श्मशान हेतु आरक्षित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का मांग पत्र, प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नगर नियोजन की राय आदि दस्तावेजात् प्रस्तुत किए गए। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.2 (309)राज./ग्रुप–3/06 दिनांक 02.06.2006 के अनुसरण में जैर अपील आदेश पारित करते हुए ग्राम सांतपुर के खसरा नम्बर 911 रकबा 1.09 बीघा किस्म गै0मु0 कातरा में से 0.09 बीघा भूमि कि किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत पक्का निर्माण नहीं करने की शर्त पर उक्त भूमि ग्राम पंचायत सांतपुर के पक्ष में श्मशान हेतु सुरक्षित घोषित की गई। अब जहां तक उक्त भूमि में से पाईप लाईन गुजरने आदि का प्रश्न है, तो इस प्रकार की प्रविष्ठि न तो राजस्व रेकर्ड में अंकित है एवं न ही प्राप्त जांच रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भूमि का आरक्षण भी पक्का निर्माण नहीं करने की शर्त पर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक प. 12(3)(34)राज/06/2264–2267 दिनांक 31.08.2006 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही